आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूरभाष 02982–230228 **राजस्थान सरकार** ईमेल secedubarmer@gmail.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा बेसिक कम्प्यूटर अनदेशक भर्ती परीक्षा–2022 के चयनित अभ्यर्थियों में से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविर–माध्य/संस्था/एफ–1/12102(200–B)/सी.भ./बेसिक कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 03.04.2023 एंव शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102 (200–B)/सी.भ./बेसिक कम्प्यू. अनु./2022 दिनांक 23.06.2023 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को **बेसिक कम्पयूटर अनुदेशक** (नॉन टीएसपी क्षेत्र) पद पर जिला बाड़मेर में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरुप निर्देशानुसार पदस्थापन स्थान आवंटित करने के लिए दिनांक 12.04.2023 से 13.04.2023 तक को परामर्श शिविर आयोजन पश्चात् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविर–माध्य/संस्था/एफ–1/12102(200–B)/सी.भ./बेसिक कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक **03.04.2023** की अनुपालना में सलंग्न सूची अनुसार चयनित एंव आवंटित अभ्यर्थियों को **बेसिक कम्पयूटर अनुदेशक** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल– 08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रुप में दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 18500/– (अठारह हजार पांच सौ रुपये) प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत (समान पद न हो) होने की स्थिति में परीक्षा अनुज्ञा प्राप्त कर विधिवत कार्यमुक्त हुए एंव नियमित वेतनमान प्राप्त कर रहे कार्मिक को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार विद्यमान वेतनमान अन्तर्गत नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता हैं।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ती भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियां की जावेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश कमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

सबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ सलंग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से सम्पादित करेंगे :–

1. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्केन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया हैं अनावश्यक लाभ रोकने के उद्‌देश्य से अंकित फोटो का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी हैं, वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा हैं।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सबंधी सदाचरण रिपोर्ट एंव सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एंव आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रुप से कर लेवें।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एंव दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव उनके विरुद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरुप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का शपथ पत्र 50/– रुपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावें।
7. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ हैं तो तत्सबंधी आशय का 50/– रुपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त कर लिया जावें।
8. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
9. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रुपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एंव उनके विरुद्व कार्यवाही करने सम्बन्धी

97
23-06-2023

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/ 06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एंव गुटखा सेवन नहीं करने सबंधी वचनबद्वता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर दिनांक **17.07.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के सबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् तत्काल कार्यालय की ई–मेल **secedubarmer@gmail.com** पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

सलंग्न :– पदस्थापन आदेश कुल संख्या :– 01 (कस संख्या 01 तक)

(राजन कुमार शर्मा) 23/6/23
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

कमांक :– जिशिअ/मु./माध्य/बाड़/संस्था–3/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/23/ 97 दिनांक :–23.06.2023

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ।

1– श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।
2– श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
3– श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4– श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर मण्डल जोधपुर।
5– श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर।
6– जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बाड़मेर।
7– समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ———————————— जिला बाडमेर।
8– सबंधित पीईईओ/प्रधानाचार्य ————————————।
9– सबंधित श्री ————————————।
10– रक्षक पत्रावली।
11– नोटिस बोर्ड।

23/6/23
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

क्रमांक :– जिशिअ/मु./माध्य/बाड़/संस्था–3/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/23/97 दिनांक :–23.06.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा–2022 में गैर–अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर–अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के कांउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन/नियुक्ति आदेश

Sr.n.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H CATE	GENDER	SEL CATE	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	PHOTO
1	251931	5052	MUKESH KUMAR	KESHA RAM	18-Feb-94	OBC	-	Male	OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANDAP (220728) (08171605311)	SAMDARI	

(राजन्द्र कुमार शर्मा) 23/6/23

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या0)

माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner